सराहनीय कार्य जनपद सम्भल पुलिस।

दिनांक – 08.12.2024

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद सम्भल श्री कृष्ण कुमार के कुशल निर्देशन में जनपद सम्भल में दिनांक 08.12.2024 को कानून व्यवस्था,अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियान में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी।

दिनांक 24.11.2024 को थाना नखासा क्षेत्रान्तर्गत घटित हिंसा की घटना के 02 नफर वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार।

दिनांक 24.11.2024 को हुई हिंसात्मक घटनाओं में थाना नखासा क्षेत्रान्तर्गत पक्का बाग हिन्दूपुरा खेड़ा व हुसैनी रोड पर नखासा चौराहे के पास हुई हिंसात्मक पत्थरबाजी व पुलिस की बाईक जलाने तथा पुलिस की पिस्टल की मैगजीन व कारतूस लूटने की घटना के सम्बन्ध में थाना नखासा पर मु0अ0सं0 304/2024 धारा 191(2)/ 191(3)/ 190/ 109(1)/ 121(1)/ 132/ 223बी बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट व मु0अ0सं0 305/2024 धारा 191(2)/ 191(3)/ 190/ 109(1)/ 121(1)/ 132/ 324(5)/ 326(छ)/ 223(B)/ 310(2) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट व 2/3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम पंजीकृत किये गये थे।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सम्भल श्री कृष्ण कुमार के आदेश के अनुपालन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री श्रीश्चन्द्र के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी असमोली महोदय श्री आलोक सिद्धू के कुशल नेतृत्व में वांछित/प्रकाश में आये अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ के अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 08.12.2024 को मुकदमा उपरोक्त में मुखबिर व सीसीटीवी फुटेज की मदद से प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. अनस, 2.मौ0 सुफियान को ठण्डी सडक रोड तालाब के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिन्दुपुरा खेड़ा पक्का बाग व नखासा चौराहा पर भीड़ एकत्रित होकर पुलिस वालों पर अध्धा ईट पत्थर से हमलावर होकर पथराव किया था हम भी भीड में शामिल हो गये थे और हमने भी पुलिसवालों पर जान से मारने की नीयत से पत्थरबाजी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. अनस पुत्र मौ0 हनीफ निवासी मौहल्ला हिन्दुपुरा खेडा थाना नखासा जनपद सम्भल।
2. मौ0 सुफियान पुत्र अहरार हुसैन उर्फ टुईय्या बाबू निवासी दीपा सराय थाना नखासा जनपद सम्भल।

गिरफ्तारी टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री गजेन्द्र सिंह थाना नखासा सम्भल,
2. निरीक्षक श्री लोकेन्द्र कुमार त्यागी,
3. उ0नि0 श्री विवेक कुमार दहिया,
4. का0 अक्षय त्यागी,
5. का0 अनिरूद्ध चौधरी,
6. का0 गोपाल सिंह।

<u>झूठी सूचना देने वाले 03 वान्छित अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार थाना रजपुरा-</u>

दिनांक 07.12.2024 को आवेदिका श्रीमति शीला ने थाना रजपुरा पर तहरीर दी, जिसमे आरोप लगाया कि रोशन पुत्र जयपाल निवासी ग्राम देऊपुरा थाना रजपुरा जनपद सम्भल 2. एक व्यक्ति अज्ञात द्वारा वादिनी को सिघौली कल्लू मन्दिर चौराहे से गवाँ छोडने की बात कहकर मो0सा0 पर बैठाकर टूवैल पर ले जाकर छेडछाड करने के सम्बन्ध मे दिया। तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 391/24 धारा 74 बीएनएस बनाम 1. रोशन पुत्र जयपाल निवासी ग्राम देऊपुरा थाना रजपुरा जनपद सम्भल 2. एक व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 राजेन्द्र सिंह द्वारा की जा रही है । विवेचना के दौरान लगाये आरोप झूठे पाये गये।

वादी श्री रोशन सिंह पुत्र जयपाल सिंह नि0 ग्राम देऊपुरा थाना रजपुरा जिला संभल द्वारा थाना रजपुरा पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1. संजय यादव 2. अवधेश 3. शीला द्वारा धोखाधडी कर षडयन्त्र रचकर वादी के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाने एवं समझौता के लिये व जान से मारने की धमकी देकर 5,00,000 रुपये की की मांग करने के सम्बन्ध में दी गयी । तहरीर के आधार पर थाना रजपुरा पर मु0अ0सं0 392/2024 धारा 318(4),61(2),248(क),308(5) B.N.S. 2023 पंजीकृत किया गया ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सम्भल श्री कृष्ण कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) जनपद सम्भल सुश्री अनुकृति शर्मा के कुशल निर्देशन तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी गुन्नौर डा0 प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व मे जनपद मे कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियो पर प्रभावी नियन्त्रण लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 08.12.2024 को थाना रजपुरा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 392/2024 धारा 318(4),61(2),248(क),308(5) B.N.S. 2023 मे वांछित अभियुक्ता 1. श्रीमति शीला, 2. संजय यादव, 3. अवधेश को गिरफ्तार किया गया ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-</u>

1. शीला पत्नी श्रीपाल निवासी कस्वा गवाँ थाना रजपुरा जनपद सम्भल,
2. संजय यादव पुत्र सत्यवीर सिह निवासी ग्राम देऊपुरा थाना रजपुरा जनपद सम्भल,
3. अवधेश पुत्र नरेश निवासी ग्राम देऊपुरा थाना रजपुरा जनपद सम्भल ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. उ0नि0 राजेन्द्र सिह थाना रजपुरा जनपद सम्भल,
2. का0 सागर चौधरी,
3. का0 शिव कुमार,
4. म0का0 शशि प्रभा ।